न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 12 / 2015

उनवान

1 भंवर पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. भंवरलाल (तर्क)
2. देवीलाल पि0 जीवण
3. राजू पुत्र चतरा
4. नाथी पत्नी उगमा
5. चन्ता पत्नी श्रवण
6. शारदा पत्नी प्रहलाद
7. अर्जुन पुत्र प्रहलाद ना.बा. जरियें संरक्षक माता शारदा
8. करण पुत्र प्रहलाद ना.बा. जरियें संरक्षक माता शारदा
9. काली ना.बा, सोमा ना.बा. पुत्रिया प्रहलाद जरियें संरक्षक माता शारदा
10. गणेश पुत्र श्रवण
11. सोहनी पत्नी मोती
12. लाली पुत्री मोती
13. महावीर पुत्र रूघनाथ
14. शिवराज ना.बा.पुत्र रूघनाथ
15. बाबू ना.बा.पुत्र रूघनाथ, जरियें वली बडा भाई महावीर, समस्त जाति गुर्जर नि0 ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद, 16. मंजू देवी पत्नी हरदयाल जाति जांगिड, नि0 दिलवाडी, नसीराबाद
17. सुरेन्द्र राठी
18. नवनीत राठी पुत्र सत्यनारायण जाति माहेश्वरी निवासी 21 – मेन स्ट्रीट नसीराबाद
19. उप पंजीयक, नसीराबाद
20. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 18 अनुपस्थित
19 से 20 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 5.1.19

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के वंर्किंग खसरा नम्बर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

173 रकबा 1–8–0 में से रकबा 0–7–10 की भूमि नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त की जा चुकी है। जिसका शेष रकबा 1–0–10 है। उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 234 रकबा 0.23 में से 0.0750 भूमि नेशनल हाईवे द्वारा अवाप्त करने के बाद शेष रकबे 0.17 का खातेदार प्रार्थी है।

वंर्किग खसरा नम्बर 169 रकबा 1–6–10 के वर्तमान खसरा नम्बर 237 रकबा 0.14 एवं 238 रकबा 0.08 व वंर्किग खसरा नम्बर 171 रकबा 1–4–0 के वर्तमान खसरा नम्बर 204 रकबा 0.05 व खसरा नम्बर 205 रकबा 0.07 तथा खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 व वंर्किग खसरा नम्बर 170 रकबा 1–17–0 के वर्तमान खसरा नम्बर 205 रकबा 0.16, व खसरा नम्बर 233 रकबा 0.14 तथा वंर्किग खसरा नम्बर 164 रकबा 2–0–10 के वर्तमान खसरा नम्बर 206 रकबा 0.30 व खसरा नम्बर 210 रकबा 0.03 के वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता व अन्य सह खातेदार है।

वंर्किग खसरा नम्बर 169 के पूर्व दिशा की ओर वंर्किग खसरा नम्बर 173 जो कि कि रोड से लगता हुआ है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 234 है, खसरा नम्बर 234/2083 का राजस्व मानचित्र में जो वर्तमान में अंकन किया है वह गलत है। अतः उक्त अंकन को हटाया जा कर वर्तमान खसरा नम्बर 234 ही रखा जावे व हाल राजस्व मानचित्र में पूर्व मानचित्र अनुसार दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की नाऔलाद मृत्यु हो जाने से उसका नाम तर्क किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 19 आवजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का मानचित्र भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान मौका स्थिति अनुसार तैयार किया गया है। प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि वर्तमान मानचित्र में किस दिशा की भूमि का कितना रकबा त्रुटिपूर्ण दर्शाया है एवं कौन से खसरा नम्बर का कितना रकबा दुरूस्त योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट तथ्यो पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि वंर्किग मानचित्र में साबिक खसरा नम्बर 173 प्रार्थी की खातेदारी का था। जिसके समीप वंर्किग खसरा नम्बर 174 स्थित था। वर्किंग खसरा नम्बर 174 के हाल खसरा नम्बर 453, 454, 235, 234/2083 आदि बने है व वंर्किग खसरा नम्बर 173 के हाल खसरा नम्बर 234 बने है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 173 के स्थान पर खसरा नम्बर 234 ही अंकित करना था। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 234 के साथ खसरा नम्बर 234/2083 भी अंकित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 234/2083 वंर्किग खसरा नम्बर 174 का भाग होने के कारण साबिक खसरा नम्बर 174 के स्थान पर ही अंकित होना चाहिये था। अतः उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती करने के आदेश पारित किये जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस अपने जवाब के कथनो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वर्किंग खसरा नम्बर 173 व हाल खसरा नम्बर 234 प्रार्थी की खातेदारी की है। जिसका रकबा जमाबंदी में सही अंकित है। एवं मौके पर प्रार्थी जमाबंदी में अंकित रकबे पर ही काबिज है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी के समीप स्थित वंर्किग खसरा नम्बर 174 के बने हाल खसरा नम्बर 234/2083 को वर्तमान राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 174 के बने अन्य हाल खसरा नम्बर के साथ अंकित करने के बजाय खसरा नम्बर 234 के साथ अंकित कर दिया। पटवारी हल्का दिलवाडी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल अंकन त्रुटिपूर्ण है। उक्त रिपोर्ट में भी अंकित है कि खसरा नम्बर 234/2083 को विलोपित कर उक्त खसरा नम्बर का रकबा खसरा नम्बर 453 में जोडा जाना उचित होगा। पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उपलब्ध राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 453 व खसरा नम्बर 234/2083 वंर्किग खसरा नम्बर 174 से ही बने है। उक्तानुसार त्रुटि दुरूस्त करने से राजस्व मानचित्र में आराजी का रकबा भी कम नही होगा। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में ऐसे कोई तथ्य अंकित नही किये है जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन होता हो। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही** समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 234/2083 को विलोपित कर उक्त खसरा नम्बर को हाल खसरा नम्बर 453 में जोडा जावे। तहसीलदार नसीराबाद वंर्किग खसरा नम्बर 173 व 174 के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को उक्तानुसार दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र व राजस्व अभिलेख में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner